कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2020/693 लखनऊ:दिनांक 19 अप्रैल, 2020

यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 की ऑनलाइन काउन्सलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 की ऑनलाइन काउसिंलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 का नहीं होगा।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 काउसिंलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 के प्रथम चक्र की ऑल लाइन काउन्सिलिंग की समय–सारिणी विभागीय वेबसाइट वेबसाइट www.updgme.in पर अपलोड की जा चुकी है।

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रू0 3,000 (प्रथम व द्वितीय चक्र हेतु) डेबिट/केडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है। मॉप–राउण्ड मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियो को पुनः पंजीकरण शुल्क रू0 2,000 जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस (Non Refundable) नहीं किया जायेगा।

- अभ्यर्थी निम्नांकित विवरणानुसार डेबिट/केडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से सिक्योरिटी धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य है:–

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि
1	राजकीय क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा एवं एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000
2.	निजी क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 2,00,000
3	निजी क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 1,00,000

- सिक्योरिटी धनराशि जमा न होने की स्थिति मे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रकिया से स्वयं बाहर हो जायेंगे। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 2,00,000 जमा करने पर वह राजकीय/निजी क्षेत्र की समस्त सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी अर्हता स्वयं आंकलन करे।

- इसी प्रकार रू0 1,00,000 जमा करने पर वह राजकीय/निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजो की समस्त सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे।

- रू0 30,000 जमा करने पर केवल राजकीय क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0 एवं एम0डी0एस0 की सीटो हेतु अर्ह होंगे।

- सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी।

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

- सभी अभ्यर्थियो से विशेष रूप से अपेक्षा है कि यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 12 मार्च 2020 एवं विवरण पुस्तिका(ब्रोशर) विभाग की वेबसाइट www.updgme.in पर उपलब्ध है, का भली भॉति स्वयं अवलोकन कर लिया जाये, जिसमे अर्ह/अनर्ह की पात्रता तथा अन्य शर्तो/प्रतिबन्धो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।***

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक/गैर–अल्पसंख्यक कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.updgme.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Lock करें।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज/पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।

- कोविड–19 की महामारी व्याप्त होने के कारण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03 मई 2020 तक लॉक–डाउन घोषित किया गया है। यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03 मई 2020 के पश्चात् लॉक–डाउन समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी दशा मे निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित नोडल सेन्टर पर ऑफ लाइन सम्पन्न की जायेगी और यदि लॉक डाउन समाप्त नहीं होता है, तो जिस प्रकार पंजीकरण/सिक्योरिटी धनराशि मे प्रक्रिया अपनायी जा रही है उसी प्रकार ऑन लाइन शिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

- उपरोक्तानुसार ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

- आफ लाइन प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- ऑनलाइन प्रवेश के संबंध मे अभ्यर्थियो को अपने मूल शैक्षणिक अभिलेख एवं जाति प्रमाण–पत्र की प्रति स्कैन कराकर आवंटित नोडल सेन्टर/कालेज मे प्रस्तुत करेंगे।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कालेज मे तत्काल योगदान प्रस्तुत करना होगा।

- यदि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्र मे कमी होती है, तो अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र/घोषणा पत्र नोडल सेन्टर/कालेज मे प्रस्तुत करना होगा कि जिन अभिलेखों की कमी है, वह अभिलेख प्रवेशित कालेज मे बाद मे प्रस्तुत करेंगे। ऐसी अभ्यर्थियो का प्रवेश अनन्तिम Provisional माना जायेगा।

- **अनावंटित/आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिस खाते से सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी अपने निजी बैंक खाते का ही प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति मे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

- **अनावंटित/आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि की वापसी सत्र की समस्त काउन्सिलिंग/मॉप-अप राउण्ड पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जाना सम्भव हो सकेगा।**

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रकिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को छोड़ते हुए।

- पी0एम0एच0एस0 के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचित किया जाता है कि मात्र वही अभ्यर्थी भारांक अंको (Weightage) हेतु अर्ह होंगे, जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य माने जायेंगे। यदि भविष्य ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- छात्रहित/जनहित मे उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे है, जिससे अभ्यर्थियो एवं उनके अभिभावको की समस्त जिज्ञासाएं का समाधान किया गया है। जैसा छात्रहित/जनहित के संज्ञान मे है कि कोरोना महामारी के कारण विभाग मे काफी कम संख्या मे उपलब्ध मैनपावर के माध्यम से काउन्सिलिंग कार्य पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा-निर्देशो, शासनादेश एवं ब्रोशर मे उल्लिखित नियम/शर्ते/प्रतिबन्ध के अवलोकनोपरांत कोई ऐसी विशेष समस्या उत्पन्न होने की स्थिति मे ही हेल्पलाइन लाइन का प्रयोग किया जाये।

महानिदेशक